bution of subsidies under SCA to TSP meant for individual family oriented income generating Schemes..

संसद सदस्यों का पत्राचार

3577. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक संसद सदस्यों से लगभग 500 पत्र प्राप्त हुए थे । और उनमें से केवल 475 पत्रों की पावतियां ही भेजी गई थी और केवल 74 पत्रों के उत्तर अंतिम रूप से दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने इन पत्रों की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर अंतिम रूप से उत्तर नहीं भेजे थे ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इन अधिकारियों में से उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ अब तक कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) :

(क) पहली मार्च, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान 561 पत्र प्राप्त हुए थे और 524 पत्रों के अंतिम उत्तर भेजे गए थे । केवल 37 पत्र लंबित है ।

(ख), (ग) और (घ) संसद सदस्यों को अंतिम उत्तर भेजने में विलम्ब का कारण राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई सूचना प्राप्त न होना है । कुछ मामलों में संसद सदस्य योजनाओं में कुछ संशोधनों का सुझाव देते हैं, जिसे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है और अंतिम उत्तर सुझावों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिए जाने के बाद ही दिए जा सकते हैं ।

पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

3578. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत 31 जनवरी 1994 तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) : (क) जी, हां । तथापि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे के सम्मुख प्रथम नियुक्ति एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हुए की गई ।

(ख) और (ग) आरक्षित कोटे में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी है, जिसमें समय लगेगा । चूंकि 8 सितम्बर, 1993 का कार्यालय ज्ञापन उन पदों पर लागू नहीं होता जिनकी भर्ती-प्रक्रिया पहले ही अर्थात् 8 सितम्बर, 1993 के पूर्व शुरू की जा चुकी थी; अतः आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शीघ्र ही उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रमुख परीक्षाओं की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है ।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों तथा वित्तीय संस्थानों को भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु लिखा जा चुका है ।